न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/88/2017

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
प्रशांत राव, फ्लैट नं. ए–9, मैट्रो एनक्लेव, पुष्पा विहार, प्रेस एनक्लेव रोड, नई दिल्ली–17		लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
निर्णय

दिनांकः 23–01–18

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का अवलोकन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 18.09.2017 के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी कार्यालय जिला कलक्टर अलवर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी बहरोड/तहसीलदार बहरोड को पूर्व में सम्पत्ति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत प्रा.पत्र पर की गई कार्यवाही बाबत बिन्दुवार सूचना चाही गई थी।
5. उक्त प्रा.पत्र दि0 18.09.17 लोक सूचना अधिकारी कार्यालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पत्रांकः लो.सू.अ./अन्तरण/2017/1754–55 दिनांकः 27.09.17 के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी बहरोड को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में वर्णित प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु अन्तरित किया गया है। उक्त प्रा.पत्र दि0 18.09.17 के परिप्रेक्ष्य में वांछित सूचना नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रा.पत्र दि. 18.11.2017 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. द्वितीय/आर.टी.आई.अपील/2017/1628–29 दिनांकः 01.12.2017 एवं स्मरण–पत्र सं. 1717 दिनांकः 01.01.18 के माध्यम से वांछित सूचना के साथ स्वयं या प्रतिनिधि को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से दिनांकः 23.01.18 को कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः लोक सूचना/2018/52 दिनांकः 16.01.2018 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रकरण में पत्रांकः लोक सूचना/2018/51 दिनांकः 16.01.2018 के माध्यम से आवेदक को बिन्दुवार सूचना प्रेषित की जा चुकी है।

8. आलोच्य प्रकरण में आवेदक के प्रा.पत्र दि0 18.09.2017 पर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड द्वारा बिन्दुवार विनिश्चय कर आवेदक को सूचित किया है। किन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाकर लगभग 03½ माह विलम्ब से सूचना उपलब्ध कराई गई है। जो उक्त अधिनियम की पालना के प्रति प्रत्यर्थी की उदासीनता, लापरवाही एवं अकर्मण्यता दर्शाता है।

9. प्रकरण में सूचना प्रदत्त है किन्तु विनिश्चय उक्त अधिनियम के अनुसार विलम्ब से किया गया है। अतः प्रकरण में सूचना उपलब्ध कराने/विनिश्चय विलम्ब से करने के लिए प्रत्यर्थी विभाग लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशासनिक कार्यवाही की जावे। प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम अंतर्गत आवेदकों द्वारा वांछित सूचनाऐं अविलम्ब, सहज भाव से सूचना की अदायगी में नियमानुसार अधिप्रमाणित कर उपलब्ध कराई जावें।

10. उक्त अपील उक्तानुसार आंशिक स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है।

11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित की जावे।

12. निर्णय घोषित ।

(बनवारीलाल रमण)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)